न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/30/2024

कल्लू उर्फ सुरेश दत्तक पुत्र फौरन सिंह जाति जाट निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

.....अपीलार्थी

बनाम

1. ढकेली पत्नि फौरनसिंह जाति जाट निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर
2. ईमरती पुत्री फौरन सिंह जाति जाट निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम मांगरौल तहसील किरावली जिला आगरा (उ.प्र.)
3. कमलेश पुत्री फौरन सिंह जाति जाट निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम मांगरौल तहसील किरावली जिला आगरा (उ.प्र.)
4. नितिन सोलंकी पुत्र बृजकिशोर जाति जाट निवासी ग्राम मांगरौल तहसील किरावली जिला आगरा (उ.प्र.)
5. सोनिया सोलंकी पुत्री बृजकिशोर जाति जाट निवासी ग्राम मांगरौल तहसील किरावली जिला आगरा (उ.प्र.)

..... उत्तरवादी

अपील विरुद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 1514 दिनांक 24.06.2023 न्यायालय नायब तहसीलदार भरतपुर।

उपस्थितः—
श्री विजय सिंह कुन्तल अभिभाषक अपीलान्ट
श्री सुरेन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक 20.2.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. वखिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 1514 दिनांक 24.6.2023 नायव तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1514 दिनांक 24.6.2023 मतृक फौरनसिह पुत्र पदमी उर्फ पदमसिंह की विरासत का रेस्पो. के हक में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार भू.अभि. भरतपुर के पत्रांक एल.आर./24/6724 दिनांक 06.11.2024 से प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 1514 तारीखी 24.6.2024 प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट के दत्तक पिता फौरनसिह व दत्तक माता श्रीमति ढकेली के विवाह के 32 साल तक संतान पैदा नहीं होने के कारण फौरनसिंह एवं उनकी पत्नि ढकेली ने अपने सगे भाई मिट्ठूसिंह व उनकी पत्नि कलावती के पुत्र अपीलान्ट को गोद लिया गया। फौरनिसंह व ढकेली ने सम्पूर्ण समाज वरिश्तेदारों की मौजूदगी में नारियल वगे. फोडकर मिठाई बांट कर दत्तक रस्म पूर्ण की गई। योग्य अभिभाषक ने बताया कि दिनांक 20.1.2003 को गवाहन के समक्ष गोदनामा 100/—

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

संतान पैदा नही होने पर श्री फौरसिंह व उनकी पत्नि ढकेली द्वारा अपने सगे भाई

रुपये के स्टाम्प पर तहरीर कर उप पंजीयक भरतपुर के समक्ष तस्दीक कराया गया है, उसी समय से गांव एवं समाज अपीलान्ट को फौरनसिह के पुत्र के रुप में ही जानते हैं और अपीलान्ट ही स्व. फौरन सिंह की मृत्यू के बाद प्रथम श्रेणी का वारिस है। मुताबिक कानून दत्तक रस्म सम्पन्न हो जाने के बाद संपूर्ण अधिकार एक दत्तक पुत्र को प्राकृतिक पुत्र की भांति ही दत्तक ग्रहिता माता पिता के परिवार से प्राप्त हो जाते हैं। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। नायव तहसीलदार ने विधिक वारिसान के बाबत कोई जांच नहीं की है। रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 का उनकी शादी के बाद विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलान्ट ही उक्त आराजी पर वहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहा है। तहत न्यायालय ने कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय ने नियमों के खिलाफ जाकर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है जो काबिल खारिज के रहता है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण से प्रभावित व्यक्ति है इसलिये अनुमति के लिये प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. पेश किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी जमाबन्दी की नकल निकलवाने के दौराने दिनांक 28.9.2024 को हुई, इसके बाद नकल वगे0 लेकर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है, अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है, देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 व 16 एवं आर.आर.टी. 2022(2) पेज 1137 उद्धरत किये गये।

योग्य अभिभाषक रेस्पो.ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपील म्याद बाहर पेश की गई। जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य रहती है। विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है। मृतक फौरनसिह के राशन कार्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं रहा है। अपीलान्ट के गोदनामा की कोई रस्म नहीं हुई है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का यह तर्क है कि कथित गोदनामा तारीखी 18.1.2003 व रजिस्टर्ड गोदानामा तारीखी 16.11.06 को अपने जीवनकाल में ही फौरनसिंह एवं ढकेली ने दिनांक 16.11.2006 को जरिये 100/– के स्टाम्प पर, जो कि नोटेरी से तस्दीक शुदा है को शून्य घोषित कर दिया गया है, इस सम्बन्ध में दौराने बहस योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अप्रमाणित शून्य करार गोदनामा प्रपत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जाकर फोटो प्रति पेश की। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरित रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1514 दिनांक 24.6.2023 पर दर्ज इन्द्राज रिर्पोट पटवारी हल्का जो इस प्रकार है :–

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

"..... मुताबिक सरंपच सजरा, शपथ पत्र, मृत्यू प्रमाण पत्र व जांच मांगरोल जाट तहसील अछनेरा किरावली की जांच के आधार पर विरासत का नाम0 दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है। कोई वारिसान शेष नहीं है.....।" नायव तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 24.6.23 को स्वीकार किया है। अपील म्याद बहार पेश की गई है। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया।

आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख नहीं है। और ना ही मजमें आम में मृतक फौरनसिंह के गांव तुहिया में वारिसान की कोई जांच किये जाने का उल्लेख है। हल्का पटवारी पटवार मण्डल तुहिया द्वारा केवल जॉच मॉगरोल जाट तहसील अछनेरा किरावली की जॉच के आधार पर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया है जबकि हल्का पटवारी को गांव तुहिया में मजमें आम में मृतक फौरनसिंह के वारिसान की भी जॉच की जाकर नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। ताकि कोई वारिस दर्ज होने से ना रह जावे। अतः मृतक फोरनसिंह की विरासत की जांच कर विधि प्रक्रिया अनुसार प्रकरण निस्तारण करने हेतु नायव तहसीलदार भरतपुर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण नामान्तकरण संख्या 1514 दर्ज दिनांक 28.04.2023 स्वीकार दिनांक 24.6.2023, नायव तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमान्ड) किया जाता है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य सबूत लेकर विधिवत जांच कर पुनः निर्णय पारित करें।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर